



प्रेस नोट

थाना - गढ़मुक्तेश्वर

दिनांक 08-11-2023

थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने अपमिश्रित/कच्ची शराब बनाने वाले एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में कच्ची शराब व लहन तथा कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद ।

कार्यवाही:-

हापुड़ पुलिस द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं कच्ची/अपमिश्रित शराब बनाने व बेचने वालों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस द्वारा अपमिश्रित/कच्ची शराब बनाने वाले एक अभियुक्त को ग्राम शेरकृष्णा वाली मडैया से काकाठेर की मडैया की तरफ जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से भारी मात्रा में कच्ची शराब व लहन तथा कच्ची शराब बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं।



उपरोक्त गिरफ्तारी/बरामदगी के सम्बन्ध में थाना गढ़मुक्तेश्वर पर अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

सुभाष पुत्र पूरन सिंह निवासी काकाठेर की मडैया ग्राम चकलठीरा थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

बरामदगी का विवरण:-

1. 320 लीटर अवैध कच्ची शराब।
2. 1600 लीटर लहन (नष्ट किया गया)।
3. कच्ची शराब बनाने के उपकरण (ड्रम, कुन्डा, पतीली, ढक्कन (पाला), पाइप व बाल्टी आदि)

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास:-

1. मु0अ0सं0- 18/15 धारा 60 आबकारी अधि0 थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।
2. मु0अ0सं0- 45/19 धारा 60(2)/62 आबकारी अधि0 थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।
3. मु0अ0सं0- 500/22 धारा 60(2) आबकारी अधि0 थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ0नि0 श्री विपिन कुमार थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।
2. उ0नि0 श्री शशिपाल थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।
3. हे0का0 770 तनुज कुमार थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।
4. का0 910 कृष्णकान्त थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।
5. का0 928 तीरथ थाना गढ़मुक्तेश्वर जनपद हापुड़।